# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

**अपील संख्या :– 884/2023**

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएसके200233001751)

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 07.02.2023
**आदेश की दिनांक** : 09.02.2023

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर नीमकाथाना में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण स.ख.अ. नीमकाथाना, से अ.भू.वै. अजमेर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद के विरूद्ध किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद ग्रुप–बी का पद है, जबकि अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक का पद धारण करता है, जो ग्रुप–सी का पद है। इस प्रकार अपीलार्थी को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पदस्थापित किया गया है, जिससे अपीलार्थी की ग्रेड बदल गई है, जो विधि–विरूद्ध है एवं नियम–20 राजस्थान सेवा नियम के विरूद्ध है। अपीलार्थी ने अपने उक्त तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत के. नारायण बनाम कर्नाटक राज्य (1994 AIR (Supreme Court) 55) प्रस्तुत किया है। आगे अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि स्थानांतरण आदेश स्थानीय एम.एल.ए. की इच्छा पर किया गया है। इस प्रकार राजनैतिक प्रभाव के कारण अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। उन्होंने अपने उक्त तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत रमाकांत बाजपेयी बनाम उत्तरप्रदेश (2012 (30) S.C.T. 751) प्रस्तुत किया है। आगे अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को जिस पद पर स्थानांतरित किया गया है, उस पद का अपीलार्थी को कोई अनुभव नहीं है। अपीलार्थी ने अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.01.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का प्रथम तर्क यह रहा है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक का पद धारण करता है। उसे उच्च पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। हमनें अपीलार्थी के उक्त तर्क पर विचार किया। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अपीलार्थी को उच्च पद के विरूद्ध पदस्थापित नहीं किया जा सकता। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वो अपने कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें।

4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

*"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी को केवल मात्र अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद के विरूद्ध लगाया गया है, जिससे अपीलार्थी का ग्रुप परिवर्तन नहीं होता। उक्त आदेश के जरिये केडर नहीं बदला गया है। केवलमात्र स्थानांतरण किया गया है। आलौच्य आदेश पदोन्नति का आदेश नहीं है। इस कारण से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के. नारायण बनाम कर्नाटक राज्य (1994 AIR (Supreme Court) 55) वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है।

5. अपीलार्थी का अन्य तर्क यह रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण स्थानीय एमएलए के कहने पर किया गया है। उन्होंने हमारा ध्यान पत्र दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक–4) की ओर आकृष्ट किया है। जिसके संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि उक्त पत्र स्थानीय एमएलए द्वारा खान मंत्री को लिखा गया, जिसके आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि राजनैतिक कारणों से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। हमनें अपीलार्थी के

उक्त तर्क पर विचार किया। यह प्रकट नहीं हुआ है कि स्थानीय एमएलए द्वारा पत्र (अनुलग्नक–4) खान मंत्री को प्राप्त हुआ है और उसी आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनैतिक प्रभाव के कारण किया गया हो। अपीलार्थी वर्तमान पद पर 03.10.2019 से कार्यरत है। ऐसे में वर्तमान पद पर उचित समय तक कार्यरत रखने के पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्यहित में किया गया है। स्थानांतरण केवल मात्र अपीलार्थी का नहीं किया, बल्कि कुल 98 कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। इस कारण से भी यह नहीं माना जा सकता कि राजनैतिक प्रभाव के कारण अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**